न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 945–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–12–12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 15/अपील/11–12.

———

1– दाउद खां पुत्र हबीब खां
2. मेहबूब खां पुत्र हबीब खां
निवासीगण ग्राम निपानिया खंजर
तहसील कालापीपल
जिला शाजापुर म.प्र. ———— आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामेश्वर पिता राधाकिशन
2– गोकुल प्रसाद पिता राधाकिशन
3– कमलाप्रसाद पिता राधाकिशन
निवासीगण ग्राम निपानिया खंजर
4– झमकुबाई पति केवलराम पुत्री राधाकिशन
जाति पाटीदार निवासनी ग्राम बेहरावल
5– कृष्णाबाई पति घनश्याम पुत्री राधाकिशन पाटीदार
निवासी ग्राम घट्टी मुख्त्यारपुर
6– दीपाबाई पति मनोहर पुत्री राधाकिशन जाति पाटीदार
7– हरकुबाई पति राधेश्याम पुत्री राधाकिशन जाति पाटीदार
क. 6 एवं 7 निवासी ग्राम खरदौनकलां
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र. ———— अनावेदकगण

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सक्सैना ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक शास्त्री ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15-05-2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 15/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 24.12.12 के विरूद्ध म0प्र0

भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा एक आवेदन नायब तहसीलदार, कालापीपल के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आवेदकों के नाम ग्राम निपान्या खंजर में भूमि सर्वे नं. 114 रकबा 2.885 हैक्टर स्थित है । जिसके सीमांकन में अनावेदक क्र. 1 लगायत 3 के पिता का उक्त भूमि के रकबा 0.884 आरे पर अवैध आधिपत्य पाया गया है । आवेदन में अनावेदकों द्वारा कब्जा छोड़ने से मना करने पर संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र पेश करते हुए कब्जा हटाने का निवेदन किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकों को सूचनापत्र जारी किया गया और अनावेदकों का जबाव लिया जाकर आदेश दिनांक 4–9–08 द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 12–8–2008 निरस्त कर प्रकरण राजस्व निरीक्षक के कथन हेतु अंकित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर, शाजापुर के न्यायालय में पेश की गई जिसमें उन्होंने दिनांक 11–1–10 को आदेश पारित कर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश नायब तहसीलदार को दिए । नायब तहसीलदार, कालापीपल द्वारा उक्त आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक के कथन प्रकरण में लिए जाकर प्रकरण आवेदक साक्ष्य हेतु दिनांक 20.4.10 को नियत किया गया तथा 20.4.10 को उभयपक्ष के समक्ष पुनः सीमांकन करते हुए अनावेदक को संतुष्ट कर संहिता की धारा 250 का आवेदन समयावधि में मानते हुए अंतिम रूप से निराकरण किया गया । इस आदेश से असंतुष्ट होकर अनावेदकों द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 30.7.11 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर सिविल न्यायालय में प्रचलित वाद जो स्वत्व घोषणा संबंधी विचाराधीन है, उसके निराकरण पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.4.09 का कियान्वयन किया जावे, तब तक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रहेगा । इस आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदकों द्वारा अपील की गई जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तथा लिखित बहस

में यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदकगण ग्राम निपानिया खंजर स्थित कृषि भूमि सर्वे नं. 114 रकबा 2.885 के भूमिस्वामी हैं । उक्त भूमि का सीमांकन 17–6–07 को किया गया जिसमें अनावेदक के पिता को सूचित किया गया परंतु वह सीमांकन के बाद मौके चले गये । आवेदक द्वारा उक्त सीमांकन के आधार पर विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 250 का आवेदन पेश किया जिसमें प्रस्तुत जबाव में अनावेदकों के पिता ने यह उल्लेख किया है कि उक्त भूमि जिसका कब्जा आवेदक मांग रहे हैं उसका आधिपत्य 14–15 साल पूर्व से चला आ रहा है । इसमें यह भी अभिवचन किया कि आवेदकों की माता आमनाबाई द्वारा सीमांकन कराया गया था उसमें आधिपत्य विवादित भूमि पर पाया था अतः संहिता की धारा 250 के तहत प्रस्तुत आवेदन समय सीमा में न होने से निरस्त किया जाये ।

यह तर्क दिया गया कि इसी बीच अनावेदकों ने एक व्यवहार वाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 शुजालपुर के न्यायालय में पेश किया जिसमें राधाकिशन का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध राधाकिशन ने एक विविध अपील अपर जिला न्यायाधीश के यहां पेश हुई जिसमें 28–4–09 को आदेश पारित कर आवेदकों को भूमि का आधिपत्य प्राप्त करने से रोका गया । अनावेदकों द्वारापुनः आवेदन दिए जाने पर द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, शुजालपुर द्वारा प्र0क0 41/2010 में जारी आदेश दिनांक 18–9–12 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 28.4.09 को संशोधित किया गया और यह आदेश दिया गया कि प्रार्थीगण प्रत्यर्थी को विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेदखल नहीं करंगे आदि । चूंकि मूल व्यवहार न्यायाधीश द्वारा जो आदेश दिया गया था उसके अनुसार तहसील न्यायालय में विचाराधीन संहिता की धारा 250 की कार्यवाही चलती रहेगी । इसमें राजस्व निरीक्षक का कथन भी लिया गया ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश दिकनांक 11.1.10 के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष पेश की गई थी जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 11.10.10 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखा इस तथ्य को अनावेदकों ने अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत आलोच्य अपील में छिपाया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 24.12.12 विध विधान के विपरीत है । तहसीलदार के समक्ष अनावेदकों द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 250 के आवेदन पर कोई साक्ष्य वैधानिक रूप से

पेश नहीं की गई, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उनका आवेदन समयसीमा से बाहर पेश हुआ है । अनावेदकों द्वारा सन् 1988 के सीमांकन के कोई कागजात पेश नहीं किए गए हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण कमांक 41/2010 एम.जे.सी. में पारित आदेश दिनांक 18.9.12 के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है, इस आशय का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया किंतु उसकी कोई नकल या सूचना उन्हें नहीं दी गई ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकों के तर्क को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकों द्वारा अपनी लिखित बहस के साथ द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश का आदेश दिनांक 18.9.12 पेश किया था तब अधीनस्थ न्यायालय को अपील को अस्वीकार करना चाहिए थी और उनके पूर्वाधिकारी द्वारा निगरानी 163/09–10 में पारित आदेश 11.10.10 को अपील प्रकरण कमांक 15/12 के निराकरण के पूर्व तलब करना था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अनावेदक लुकाछिपी का खेल न्यायालय से कर रहे थे और वास्तविक तथ्य को न्यायालय से छिपा रहे थे और न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आए थे ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों का आवेदन संहिता की धारा 250 के तहत दो वर्ष की अवधि में पेश किया जाना नहीं मानने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अवधि का प्रश्न तथ्यों से जुड़ा होता है और जब तक इस संबंध में कोई वैधानिक साक्ष्य मौखिक और दस्तावेजी पेश नहीं की जाती तब तक यह निष्कर्ष निकालना विधि विरूद्ध था कोई भी दस्तावेज यदि न्यायालय में पेश किया जाता है तो उसको वैध साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना चाहिए । संहिता की धारा 250 की कार्यवाही के लिए सीमांकन दिनांक भी माना गया है इसे दृष्टि ओझल किया गया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 1–7–89 को हो चुका था । सीमांकन आदेश के 2 वर्ष के अंदर आवेदन पेश करना चाहिए था, जो

उनके द्वारा नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत है जिसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि का वर्ष 88–89 में सीमांकन किया गया जिसमें प्रश्नाधीन भूमि पर राधाकिशन का पूर्व से आधिपत्य पाया गया है । उन्होंने यह भी पाया है कि आवेदक द्वारा उस समय कब्जा हटाने की कार्यवाही नहीं की गई जबकि संहिता की धारा 250 के तहत बेकब्जा किए जाने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था इस कारण अपर आयुक्त ने पुनः सीमांकन किए जाने हेतु प्रस्तुत वाद के आधार पर की गई 250 की कार्यवाही को विधिसम्मत नहीं माना है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने तथा अस्थाई निषेधाज्ञा होने के उपरांत आदेश पारित किया गया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व अनावेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष अभिलेख पर आधारित हैं । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उनका आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण प्रकरण में हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.12 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर